**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1087**

**16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : किसानों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु कानून**

**1087: श्री रविशंकर प्रसाद:**

क्‍या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या यह सच है कि विश्‍व में कृषकों की दयनीय अवस्‍था को देखते हुए कानून द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु ठोस योजनाओं पर विचार हो रहा है;
2. यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है; और
3. क्‍या सरकार देश के किसानों को समर्थन एवं सुरक्षा देने तथा खेती की पारम्‍परिक प्रणाली को संरक्षित रखने हेतु राष्‍ट्रीय स्‍तर पर कोई कार्रवाई भी करेगी?

उत्‍तर

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (तारिक अनवर)**

1. : जी नहीं ।
2. : जबकि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून हेतु कोई विशिष्‍ट अधिनियम पर विचार नहीं किया जा रहा है, भारत सरकार कृषि एवं सम्‍बद्ध क्षेत्र को आकर्षक व्‍यवसाय बनाने हेतु और कृषक समुदाय की भलाई हेतु सभी सम्‍भव कदम उठा रही है । बारहवीं योजना अवधि के दौरान कृषि केन्‍द्र द्वारा योजना परिव्‍यय को 134746 करोड़ रुपये तक पर्याप्‍त रुप से बढ़ाया गया है जबकि ग्‍यारहवीं योजना अवधि के दौरान 61527.90 करोड़ रुपये था । कृषि एवं सहकारिता विभाग ने विभिन्‍न स्‍कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, किसानों की आय सुरक्षा के लिए स्‍वीकृत स्‍कीम (बीमा सुरक्षा के माध्‍यम से जोखिमों को पूरा करने सहित) मूल्‍य समर्थन स्‍कीम (पीएसएस) और बाजार हस्‍तक्षेप स्‍कीमें (एमआईएस), राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, किसान उत्‍पादक संगठनों का वित्‍त पोषण, पैमाना अर्थव्‍यवस्‍था के लाभांश हासिल करने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों के स्‍वयं-सेवी समूहों, विस्‍तार सेवाओं को बढ़ाना, फसल विविधीकरण इत्‍यादि के अन्‍तर्गत अन्‍त:क्षेपों के माध्‍यम से कृषि के विकास हेतु वर्ष 2013-14 के लिए 21609 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है । राष्‍ट्रीय किसान नीति, 2007 में व्‍यवस्‍था दी गई है कि मुख्‍य फसल भूमि को केवल अपवाद स्‍वरुप परिस्‍थितियों को छोड़कर अवश्‍य ही कृषि के लिए संरक्षित किया जाए । यदि वे एजेंसियां जिन्‍हें गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि उपलब्‍ध कराई जाती हैं तो इनकी प्रतिपूर्ति करें तथा कहीं भी समान अवक्रमित/बेकार भूमियों का पूर्ण विकास करें । गैर कृषि परियोजनाओं के लिए, जहां तक संभव हो, कृषि के लिए कम जैविक संभावना भूमि निर्धारित एवं आवंटित की जाएगी । राज्‍य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों सहित गैर-कृषि विकास गतिविधियों के लिए कम जैविक संभावना की भूमि निर्धारित करें जैसे कि गैर-खेती योग्‍य भूमि, लवणता, अम्‍लीयता से प्रभावित भूमि इत्‍यादि ।
3. : जैसा कि ऊपर बताया गया है भारत सरकार के प्रयास राष्‍ट्रीय स्‍तर पर हैं । किसान स्‍वभावत: पूर्वानुमान की गई जलवायु अवस्‍थाओं पर निर्भर करते हुए सरकार द्वारा जारी की गई परामर्शिकाओं पर विचार करते हुए अपनी इच्‍छा एवं बुद्धिमता के अनुसार फसल उगाने के लिए स्‍वतंत्र हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*